

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

\*\*\*

No.86/SEC(E)/TR-1/1.

New Delhi, dated 05-01-2004

The Chief Security Commissioners/RPF,  
All Indian Railways.

The Chief Security Commissioner/RPSF,  
Railway Board, New Delhi.

**STANDING ORDER NO.67**

Sub: Inter Railway Transfer of RPF/RPSF personnel.

It has been observed that a large number of cases for transfer of RPF/RPSF personnel are being forwarded to Board's Office at random, on a piecemeal manner.

To streamline the process and to avoid inflow of transfer requests in a piecemeal manner, the DG has desired that all Railways should maintain a register of all requests for transfer and the requests may be forwarded with the details of the applications alongwith the express remarks/recommendations of the CSCs to Board's Office twice a year, in January and July.

This may please be noted for compliance.

Please acknowledge receipt.

*7/2/04*  
(C.S.RAY)  
DIG/Administration.  
Railway Board.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 86-सिक्वू (ई)/टी आर-1/1

नई दिल्ली, दिनांक : 05-01-2003

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल  
सभी भारतीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा विशेष बल.  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.

स्थायी आदेश सं. 67

विषय : रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कार्मिकों का स्थानांतरण - अन्तर  
रेलवे स्थानान्तरण ।

यह देखा गया है कि रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए बहुत से मामले बेतरतीब ढंग से थोड़े-थोड़े करके बोर्ड कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं।

इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए और स्थानांतरण संबंधी अनुरोधों के फुटकर रूप से आने से बचने के लिए महानिदेशक यह अपेक्षा करते हैं कि सभी रेलों को स्थानांतरण संबंधी सभी अनुरोधों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए और अनुरोधों को मुख्य सुरक्षा आयुक्तों की टिप्पणियों/सिफारिशों सहित आवेदनों के विवरण के साथ बोर्ड को वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई में प्रेषित किया जाए।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसकी पावती दें।

च. ५. २१२५

211  
(चंद्र शेखर राय)

उप महानिरीक्षक/प्रशासन  
रेलवे बोर्ड